

योजना काल में उत्तर प्रदेश में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का अध्ययन

सारांश

आज भारत सहित पूरा विश्व निर्धनता की समस्या से पीड़ित है। उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, जहाँ लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवासित है। यहाँ की भी प्रमुख समस्याओं में से निर्धनता मुख्य समस्या है। पूर्व में NSSO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31.15 प्रतिशत निर्धनता पायी गई। जो कि अखिल भारतीय स्तर पर व्याप्त निर्धनता से अधिक रही। भारत के ऐतिहासिक विकास क्रम में समाज की आर्थिक संरचना और मानवीय जीवन की विभिन्न दशाओं के संबंध में जो विवरण प्राप्त होते हैं उससे यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज में सामान्य वर्ग में जटिल और बहुआयामी निर्धनता व्याप्त रही है। इस जटिल समस्या के निराकरण हेतु राजनीतिज्ञों, सामाजिक विचाराको एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा निरन्तर विचार विमर्श किया जाता रहा है। आज हमारा देश खाद्यान्व क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। वैज्ञानिकों एवं तकनीक की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सामाजिक असमानताओं को कम किया जा रहा है। जटिल प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। हमारे डाक्टरों तथा इंजीनियरों ने विदेशों में अपना अस्तित्व बना लिया है। सामाजिक सेवाओं में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास आदि सुविधाओं में वृद्धि हुई है। साक्षरता अनुपात 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। जीवन स्तर में सुधार के लिए उपभोगीय वस्तुओं की उपलब्धि में वृद्धि हुई है। यदि वास्तव में हमें निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इनसे संबंधित कार्यक्रमों में समन्वय का होना आवश्यक है। क्योंकि समन्वय के बागेर निर्धनता का वास्तविक उन्मूलन कर पाना संभव नहीं है।

मुख्य शब्द : निर्धनता, बेरोजगारी उन्मूलन, सरकारी प्रयास, असफलता के कारक।

प्रस्तावना

आज भारत सहित पूरा विश्व निर्धनता की समस्या से पीड़ित है। निर्धनता की अवधारणा मूलतः आर्थिक दशाओं से सम्बद्ध है। यह अत्यधिक विवाद का विषय है कि निर्धन किसको स्वीकार किया जाए। सरकार का अपना मानदण्ड है तो विशेषज्ञों के भी अपने अलग-अलग मानदण्ड है निर्धनता भी दो तरह से विवेचित की जाती है एक तो तुलनात्मक और दूसरी असम्बद्ध। तुलनात्मक मानदण्ड के आधार पर प्रत्येक वह व्यक्ति निर्धन होगा जिसके पास दूसरे की तुलना में कम सम्पत्ति है। जैविकीय दृष्टिकोण से यदि एक दिन भी किसी व्यक्ति को खाद्यान्व प्राप्त नहीं हो पाता है तो वह अन्य की तुलना में निर्धन कहा जाता है।

निर्धनता को केवल आर्थिक असमानता के आधार पर ही परिभाषित नहीं किया जा सकता है बल्कि बेरोजगारी के आधार पर भी किया गया है। अकेले भारत में ही NSSO की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार 26.10 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है जोकि जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

हालौंकि स्वतंत्रता के पश्चात से ही योजनाओं की एक श्रृंखला सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जोकि सन् 1951 से लेकर आज तक संचालित है जिसमें सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम तथा उसके अंतर्गत चलायें जाने वाले कार्यक्रमों के द्वारा निर्धनता उन्मूलन एवं बेरोजगारी उन्मूल हेतु सतत प्रयास किए हैं जिसके परिणामस्वरूप आज हमारा देश खाद्यान्व क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। वैज्ञानिक एवं तकनीक की संख्या में विश्व में तीसरे स्थान पर है। सामाजिक असमानताओं को कम किया जा रहा है। जटिल प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। हम जैट इंजनों एवं उपयोग हो रहा है। हम जैट इंजनों एवं



राहुल कुमार मिश्रा

असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
दयानन्द बछरावां पी0जी0 कालेज,
बछरावां, रायबरेली

टरवाइनों का निर्माण कर सकते हैं। हमारे डाक्टरों एवं सामाजिक सेवाओं में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, आदि सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। साक्षरता अनुपात 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। जीवन स्तर में सुधार के लिए उपभोगीय वस्तुओं की उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय स्तर पर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पर लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या निवासित है। पूर्व में स्पष्ट NSSO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31.15 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही थी। जबकि इसी समय यह अखिल भारतीय स्तर पर यह 26.1 प्रतिशत के तुल्य रही। अतः बढ़ती जनसंख्या साथ ही साथ बढ़ती निर्धनता उत्तर प्रदेश की एक जटिल समस्या बनी हुई है। इसके निदान हेतु केन्द्र एवं राज्य के द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दृष्टि से कृषि विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश में लगभग 168 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि की जाती है। कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में प्रयास का ही फल है कि कृषि ने प्रदेश को खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाते हुए आवश्यकता से आधिक्य की ओर पहुँचाया है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना क्योंकि भारत को गॉवों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग सात लाख ग्राम हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए चलाए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा का स्तर, पेयजल, एवं सिंचाई सुविधायें, स्वास्थ्य सेवा आदि का अध्ययन करना है कि यह कार्यक्रम कहाँ तक ग्रामीण विकास करने में सफल रहे हैं। भारत में स्वाधीनता के पश्चात् से ही निर्धनता एक गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि इसकी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। निर्धनता से मुक्ति तथा इसका उन्मूलन दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए तथा विकास की व्यूह रचना की एक अनिवार्य मद होनी चाहिए।

निर्धनता के मापन की विधियाँ

भारतीय सन्दर्भ में निर्धनता मापन के संबंध में जो भी प्रविधियाँ अपनायी जाती हैं वह एक निश्चित जीवनस्तर के समकक्ष अभिकल्पित निर्धनता से संबंधित होती है। निर्धनता किस स्तर तक है इसका मूल्यांकन करने के लिए यह प्रस्थापित किया जाता है कि समाज में एक निश्चित स्तर पर जीवनयापन करना सर्वसाधारण के लिए आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से निर्धनता की प्रकृति एवं उसके स्तर का परिभाषिकरण जीवन स्तर के निर्धारित रेखा के नीचे और ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या की अनुपात के आधार पर सम्भव होता है। निर्धनता मापन को अन्य प्रतीकों से भी इंगित किया जा सकता है। सन् 1962 में डॉ प्रो. गाडगिल, पी०एस० लोकनाथन, बी० एन० गांगुली, राव, मसानी, मेहता, श्रीमन्नारायण, पंत और

इंजीनियरों ने विदेशों में अपना स्थान बना लिया है। सहस्रबुद्धे के अध्ययन समूह द्वारा यह संस्तुत किया गया था कि 1960–61 के मूल्यों पर प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 20 रुपये मानक खपत निर्धनता रेखा के रूप में स्वीकार की जा सकती है। इस समूह द्वारा कुल खपत में चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं के लिए व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके पश्चात् निर्धनता का मापन प्रतिव्यक्ति कैलोरी की खपत के आधार पर निर्धारित किया गया जिसके आधार पर जिस व्यक्ति को प्रतिदिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 2100 एवं 2400 कैलोरी प्राप्त न हो सके उसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित डी०टी० लकड़ वाला के आधार पर प्रस्तुत प्रत्येक राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रस्तुत प्रत्येक राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न प्रस्तुत निर्धनता की रेखाये हैं जिसके आधार पर उपरोक्त राज्यों में निर्धनता का अवकलन किया जाता है।

निर्धनता निवारण हेतु सरकार द्वारा किये गए प्रयास

सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित प्रदश हैं यहाँ 97,814 आबाद ग्राम तथा 51,914 ग्राम सभाये हैं। प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है अतः यहाँ पर निर्धनता भी उच्च स्तर पर विद्यमान है। अतः प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा निर्धनता निवारण एवं बेरोजगारी उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता रहा है जिसमें से प्रमुख रूप से एकीकृत ग्राम विकास योजना (IRDP) 1980–81, ट्राइसेम (1979–80), ड्वाकरा (1983–84), उन्नत टूल किट प्रोग्राम (1992–93), गंगा कल्याण योजना, 10 लाख कूप योजना (1989–90), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (1999) महात्मा गांधी रोजगार गांरंटी योजना इत्यादि प्रमुख कार्यक्रम रहे हैं।

निर्धनता बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के मुख्य पहलू निम्न प्रकार रहे हैं

1. धीरे-धीरे लाभ पहुँचाने का तरीका जो समय विकास दर पर निर्भर रहा है।
2. ग्रामीण इलाकों में भूमि तथा आवासों का वितरण।
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षणों के माध्यमों से जनसंसाधनों का विकास।
4. विभिन्न रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यमों से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

इन्हीं पहलुओं तथा तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने निर्धनता के मूलकारणों को छूने का प्रयास किया है।

कार्यक्रमों के सफल न हो पाने के उत्तरदायी कारण

योजनाकाल में चलाए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के अधिक सफल न हो पाने के मुख्यतः अग्रलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं।

1. ग्राम पंचायतों की अत्यधिक प्रभावपूर्वक भूमिका।
2. ग्राम प्रधानों की अनुभवहीनता।
3. ग्राम प्रधानों को सीधे धन का हस्तारण।
4. गरीब ग्रामीणों का अशिक्षित होना।
5. अविकसित तथा अकुशल मानव पूँजी।

6. दोषपूर्ण शासन व्यवस्था।
7. प्रस्ताचार।
8. पर्याप्त वित्त का अभाव।
9. गरीब ग्रामीणों का विकास कार्यक्रमों से अनभिज्ञ होना।
10. कार्यक्रमों के मध्य, समन्वय का अभाव।
11. NGO'S की कार्य पद्धति में पारदर्शिता का अभाव।
12. संतुलित आर्थिक व्यवस्था के विकास का अभाव।
13. तकनीकी स्टाफ के अभाव में योजनाओं के विस्तृत विवरण तैयार करना संभव न हो पाना। जिसके कारण योजनाओं के कार्यन्वयन में बाधा।

निष्कर्ष

मानव के अस्तित्व का आधार है

समानता तथा सामाजिक न्याय समानता प्राप्ति का आधार है। समानता आधारभूत दो बिन्दुओं पर टिकी हैं। कानूनी समानता एवं तथ्यगत समानता अर्थात् सरकारी कानून की दृष्टि में सभी समान है। जबकि तथ्यगत समानता से तात्पर्य आर्थिक समानता से है। समाज में सभी व्यक्तियों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो जिसके लिए सभी व्यक्तियों के समान कार्य समान संसाधनों का अधिकार, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य आय वितरण एवं उपयोग एवं सम्पत्ति वितरण में अनुचित विषमताओं का निषेध होना है। जबकि हमारे देश एवं प्रदेश में योजनाकाल में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है बल्कि तुलनात्मक रूप से गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर हुए हैं। यद्यपि सरकारी कार्यक्रमों की सफलता में राष्ट्र स्तर उत्तर प्रदेश को उच्च स्थान प्राप्त है लेकिन प्रथम स्थान पाने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। इनके माध्यम से गरीबी पर काफी नियंत्रण किया जा सका है। भले ही सभी गरीब निर्धनता रेखा से ऊपर न जा सके हो परन्तु उनके आर्थिक स्तर में अवश्य ही सुधार हुआ है किर भी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने हेतु सरकार को और अधिक प्रयास करने होंगे। किर अंत में कोई भी विकास की योजना तब तक पूर्णरूपेण सफल नहीं हो सकती जब तक क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारियों में कर्तव्यनिष्ठा ईमानदारी और कर्मठता न हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भाटिया, बी०एम०—“गरीबी, कृषि और आर्थिक विकास” विकास पब्लिकेशन, दिल्ली
2. देसाई बी०वी० —“रुरल इकोनामी आफ इण्डिया”, विकास पब्लिकेशन, दिल्ली।
3. माथुर बी०एन० गर्ग सुभाग “स्ट्रेटेजीस एण्ड प्रैविट्स आफ रुरल डेवलपमेन्ट आफ इण्डिया” जयपुर
4. आचार्य एस०—“लेख — पावर्टी अनइम्लायमेण्ट रिलेशनशिप इन इण्डिया”, साहित्य रत्नालय, मेरठ।
5. अरोड़ा आर०सी० —“इण्टीग्रेटेड रुरल डेवलपमेण्ट”, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी, दिल्ली।
6. जैन, एस०सी० —“रुरल डेवलपमेण्ट इन्टीट्यूशन एण्ड स्ट्रेटेजीस”, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
7. सिंह ए० के० —“रुरल डेवलपमेण्ट इन इण्डिया”, दीप ए० दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. शोभन भट्टाचार्य एण्ड सिंह, एस०पी० —“इण्डियन इकोनामी”, रावत पब्लिकेशन जयपुर।

9. अग्रवाल ए०एन० एण्ड सिंह एस०पी० —“इकोनोमिक्स डेवलपमेन्ट कॉन्सेप्ट”, पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली (1977)
10. सेन, ए०के० —“इकोनोमिक एप्रोचेज”, नागरी प्रेस, इलाहाबाद।
11. लेनगे ओसकर — इकोनोमिक प्लानिंग”, (बाम्बे, 1976)
12. चक्रवर्ती एस० —“पॉलिसी मैकिंग इन मिक्स इकोनामी”, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
13. सिंह बी०बी०“भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास”, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
14. केशरू, ए०एम०“भारतीय अर्थशास्त्र का विकास एवं जनसंख्या वितरण, (मुम्बई 1967)
15. चक्रवर्ती एस०“पॉलिसी मैकिंग इन मिक्स इकोनामी”, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
16. कृष्णा राज—“द ग्रोथ ऑफ एवरेज एन इम्पलायमेन्ट इन इण्डिया”, ज्ञान भारती पब्लिषिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद।
17. हजारी, बी० एण्ड कृष्णमूर्ति, जे० —“अनइम्पलायमेन्ट ऑफ इण्डिया”, विकास पब्लिकेशन नई दिल्ली।
18. लुईस, डब्लू० ए० —“द थ्योरी ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ”, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (1985)
19. कुरेन, एन०के० —“इम्पलायमेन्ट पोटीनेट्रल इन रुरल इण्डिया—1990”
20. सिंह त्रिलोक —“इण्डियाज डेवलपमेन्ट एक्सपीरियंस” (दिल्ली 1974)
21. नक्स आर० —“प्राल्मस ऑफ कैपिटल फोरमेन्सन इन अण्डर डेवलपमेण्ट (दिल्ली 1973)
22. मिन्हास, बी०एस० —“रुरल पावर्टी एण्ड डवलपमेन्ट”, (3 अप्रैल 1970)
23. मिन्हास, बी०एस० —“प्लानिंग एण्ड पुअर”(नई दिल्ली 1978)
24. हारवे, इन्दिरा —“गरीबी हटाओ”, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लिं० दिल्ली, 1978
25. कुरियन, सी०टी० —“आर्थिक आयोजना तथा विकास” एशियन पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 1975
26. चौधरी प्रामित—“द इण्डियन इकोनामी” (जयपुर, 1978)
27. भगवती, जे०एन०एण्ड चक्रवर्ती, एस०—“कन्ट्रीब्यूशन टू इण्डियन इकोनामिक्स”, पापुलर पब्लिकेशन, बम्बई
28. कुमार, अरुण —“द ब्लैक इकोनामी इन इण्डिया” (नई दिल्ली 1999)
29. हनुमत राव, टी०एच०— “कृषि क्षेत्र का विकास”, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
30. जालान, विमला —“भारतीय अर्थ—व्यवस्था”, कृषि क्षेत्र का विकास व समस्याएं” हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकायें

1. प्रतियोगिता दर्पण — कोठारी इन्टीट्यूट प्रकाशन।
2. योजना — भारत सरकार, पटियाला
3. इण्डिया टुडे — नई दिल्ली।
4. कल्याण पत्रिका —नई दिल्ली।
5. इकॉनाम इण्डिया —प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक (मनोहर मनोज कुमार) नई दिल्ली।
6. कुरुक्षेत्र — ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार